पूर्व मध्य रेल

परिचालन संरक्षा चेतावनी संख्या 02 / 2020

(OPERATING SAFETY ALERT NO.02/2020)

दिनांक– 16.01.2020 को प्रातः 07:00 बजे ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन में सालगॉव (SQQ)- नरगुंडी (NRG) स्टेशन के होम सिगनल पर खड़ी मालगाड़ी सं0 E/NTECL–28 को मुंबई से भुवनेश्वर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन नं0 12879 ने पीछे से टक्कर मार दिया, जिसके फलस्वरूप एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन, मालगाड़ी का बेकवान एवं 12 सवारी डब्बे पटरी से उत्तर गये ।

ज्ञात हो कि दुर्घटना जिस सेक्शन में हुई है वह ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन है और जिस समय दुर्घटना हुई उस समय घना कोहरा छाया हुआ था।

उपर्युक्त घटना के आलोक में इस 'संरक्षा चेतावनी' के माध्यम से लोको पायलटों एवं गार्डों को डयुटी के लिए बुक करने के पूर्व निम्नलिखित सुनिश्चित करना आवश्यक है:–

1. किसी भी गार्ड, लोको पायलट, सहायक लोको पायलट को ऑटोमेटिक सेक्शन में तब तक कार्य पर नहीं लगाया जायेगा जब तक उसके पास इसके लिए जारी किया गया प्रमाण पत्र नहीं हो।

2. सहायक नियम 9.02 (vii) के अनुपालन में गार्ड एवं लोको पायलट को ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में कार्य करने हेतु संबंधित नियमों के बारे में प्रत्येक छः माह में एक बार प्रशिक्षण दिया गया हो एवं प्रवीणता के प्रमाण स्वरूप प्रमाण पत्र जारी/नवीनीकृत किया गया हो।

3. सामान्य एंव सहायक नियम 3.61 (च) नोट–(iv) के आलोक में कु और गार्ड को 'साईन ऑन' के दौरान मौजूदा कुहासा की स्थिति के बारे में सूचित करने की व्यवस्था की गई हो ।

4. मुख्यालय द्वारा कोहरे के दौरान गाड़ी परिचालन से संबंधित जारी किये गये निर्देशों से गार्ड एवं लोको पायलट/ सहायक लोको पायलट को अवगत कराया गया हो एवं उनकी पावती ली गई हो ।

5. कोहरे के दौरान गाड़ी की गति के संबंध में वर्णित नियमों का कठोरता से पालन किया जा रहा हो ।

सभी मंडलों में उपर्युक्त के अनुपालन हेतु उचित निर्देश दिये जाए जिससे इस प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम हो सके।

यह प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक द्वारा अनुमोदित है।

17.01.2020

(राजपति झा)
उप मुख्य परिचालन प्रबंधक/सामान्य
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

सं0:ई.सी.आर/परि.संरक्षा/चेतावनी/73/505,दिनांक–17.01.2020

प्रतिलिपिः

17.1.20

(1) सचिव/महाप्रबंधक/पूमरे, हाजीपुर :– महाप्रबंधक महोदय को सूचनार्थ।
(2) मुख्य संरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
(3) मंडल रेल प्रबंधक– धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ।
(4) वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक– धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
(5) वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी– धनबाद,दानापुर,मुगलसराय,सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
(6) मुख्य विधुत लोकोमोटिव इंजीनियर, पूमरे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

17.1.20

15 copy

17/01/20

17/01/2020